

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/21/2889

दिनांक : 05.07.2021

प्रेस-नोट

आयोग द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 15.06.2021 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने हेतु रिक्तियों की सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से प्राप्त की गई। इन रिक्तियों में से सदस्यों के 18 पद उन निकायों में हैं जिनकी निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार है। इन निकायों में दो अध्यक्ष पद भी रिक्त हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हनुमानगढ़ जिले की नगरपालिका भादरा के अध्यक्ष पद एवं वार्ड संख्या-12 एवं 35 के सदस्य के रिक्त पदों की सूचना प्रेषित करते हुए निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 2429 दि. 31.05.21 के द्वारा इन पदों पर चुनाव कराने का भी अनुरोध किया गया है।

अतः आयोग द्वारा जिन निकायों में अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार है उन निकायों में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने पर विचार किया गया। ऐसे रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण	रिक्त अध्यक्षीय पदों का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.नि. अजमेर	28	
		2.	न.प. किशनगढ़	46	
2.	भरतपुर	3.	न.नि. भरतपुर	04	
3.	चुरू	4.	न.पा. रतननगर	06	अध्यक्ष
		5.	न.पा. सुजानगढ़	50	
		6.	न.पा. छापरा	24	
4.	हनुमानगढ़	7.	न.पा. नोहर	36	
		8.	न.पा. नोहर	37	
		9.	न.पा. भादरा	12	अध्यक्ष
		10.	न.पा. भादरा	35	
5.	झालावाड़	11.	न.प. झालावाड़	08	
		12.	न.पा. पिडावा	19	
6.	झुंझुनू	13.	न.प. झुंझुनू	52	
		14.	न.पा. खेतडी	20	
7.	नागौर	15.	न.पा. डीडवाना	06	
8.	प्रतापगढ़	16.	न.प. प्रतापगढ़	23	
9.	पाली	17.	न.पा. सुमेरपुर	33	
		18.	न.पा. सादडी	10	

वैसे तो राज्य के प्रत्येक जिले में कोविड-19 के संक्रमण में निरन्तर तेजी से कमी आ रही है और पूरे राज्य में दिनांक 04.07.2021 को मात्र 71 संक्रमित केस रिपोर्ट हुए हैं। फिर भी इन रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने से पूर्व रिक्त पदों से संबंधित निकायों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा आवश्यक समझी गई। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से कोविड-19 संक्रमण की प्राप्त सूचना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि इन निकायों की में से दस निकायों में सक्रिय प्रकरणों संख्या शून्य है। इसके अतिरिक्त दो निकायों में सिर्फ 01, एक निकाय में 02, एक में 04, एक में 05 एवं एक निकाय नगर निगम अजमेर में अधिकतम सक्रिय प्रकरणों की संख्या 08 है। यह सूचना सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र की हैं, जबकि प्रत्येक निकाय में उप चुनाव सिर्फ एक या दो वार्डों के लिए ही होना है।

अतः आयोग द्वारा उक्तानुसार दो अध्यक्षीय पदों एवं सदस्यों के 18 रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	12.07.2021 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	16.07.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	17.07.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	19.07.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	20.07.2021 (मंगलवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	26.07.2021 (सोमवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	28.07.2021 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से

अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	29.07.2021 (गुरुवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	30.07.2021 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	31.07.2021 (शनिवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	02.08.2021 (सोमवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	02.08.2021 (सोमवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	05.08.2021 (गुरुवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	05.08.2021 (गुरुवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उक्त उप चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न कराए जायेंगे।

मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है। चिन्ता

कोविड-19 संक्रमण से बचाव

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 05.07.2021 को गाईडलाईन जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की पूर्ण रूप से पालना करें।

जिन रिक्त 18 वार्डों के सदस्य का उप चुनाव होना है, वहां के मतदाताओं के टीकाकरण हेतु शिविर का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर मतदाताओं को टीका लगाने हेतु भी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मतदान दलों में भी ऐसे कार्मिकों को ही नियुक्त करने के निर्देश भी प्रदान किए हैं जिनको कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी हों।

• आदर्श आचरण संहिता

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

दिनांक 5/7/2021

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव